line are available for the year 1993-94. The poverty lines in 1993-94 are monthly per capita expenditure of Rs. 228.9 in rural areas and Rs. 264.1 in urban areas.

(c) Does not arise.

गुजरात में स्थित उद्योगों के लिये स्टीम कोयले का आवंटन

1319. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में स्थित उद्योगों के लिए कितनी मात्रा में स्टीम कोयले का आवंटन किया गया है और वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में जिला-वार कोयले की कुल कितनी मांग है;

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए मांगे गए स्टीम कोयले की आपूर्ति उसी अवधि के दौरान कर दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) सम्पूर्ण देश के लिए कोयले की मांग का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है बल्कि इसका मूल्यांकन क्षेत्रवार किया जाता है। कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति राज्य में सम्बद्ध प्रायोज़न प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजकता के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर करती है।

को०इं०लि० से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात के विभिन्न उपभोक्ताओं को इस्पात कोयले का औसत प्रायोजन मात्रा 1.40 लाख टन रही। अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात में उपभोक्ताओं द्वारा इस्पात कोयले के प्रस्तुत कार्यक्रम तथा उन्हें अनंतिम रूप में की गई आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है:-

प्रस्तुत कार्यक्रम	6.66 लाख टन
वास्तविक आपूर्ति	3.84 आपूर्ति

कार्यक्रम के अंतर्गत कम अधिप्राप्ति मुख्यतः रेलवे द्वारा कम वैगनों की आपूर्ति किए जाने के कारण हुई है। रेलवे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को रेल द्वारा कोयले का संचलन किए जाने हेतु वैगनों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कम प्राथमिकता देता है, चूंकि महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उच्च प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

कोल इंडिया लि० उपभोक्ताओं को रेल से कोयले के संचलन में हुई कमी को पूरा करने हेतु सड़क द्वारा कोयले का संचलन किए जाने का उपभोक्ताओं को विकल्प देती है। इसके अलावा, अनेक कोलियरियों से उदारीकृत योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की पेशकश की जाती है। कोयले की आपूर्ति इस योजना के अंतर्गत थोक व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को भी की जाती है, जोकि छोटे और मध्यम दर्जे के उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करते हैं।

Responsibility of Collectors for delay in MPLADS

1320. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICKHKAR:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government would evolve a mechanism of fixing responsibility and penalising the Collectors for the inordinate delay in the matter of MPLADS;

(b) if so, what is the mechanism which Government would like to develop; and

(c) what role that MPs can play in the fast implementation of projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) and (b) As per the guidelines on MPLADS, the Collectors as well as the implementing agencies are responsible for the successful implementation of the works, which are taken up under MPLADS. The Collectors are also responsible for the coordination and overall supervision of the works under the scheme at the district level. Since the District Collectors are officers, who belong to the cadre of Indian